राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ......213 / 2012..............................जिला............झुंझुनू...

उनवान – वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–झुंझुनू बनाम जवान कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 झुंझुनू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री के.एल.जैन, सदस्य**	
12 / 04 / 2017	अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक एन.के.बैद एवं प्रत्यर्थी–व्यवसायी के अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा उपस्थित। अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2011 कि विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–झुंझुनू (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश 29.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी व्यवसायी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए, प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उभयक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.06.2011 कि विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। सशक्त अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पालना में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.08.2013 पारित कर दिया है जिससे सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2010 सारहीन हो गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। 12/4/2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	